Nalanda College of Engineering, Chandi (Nalanda)
नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी (नालन्दा) बिहार–803108
Website:- www.ncechandi.ac.in E- mail:- nceprincipalchandi@gmail.com
(Science, Technology & Technical Education Department, Govt. of Bihar, Patna)

पत्रांकः NCE/CHANDI/…………..   दिनांक ………../…………/2026

कार्यालय आदेश

दिनांकः 24.09.2025 को महाविद्यालय छात्रावास में छत से एक छात्रा के गिरने की घटना के उपरान्त छात्र एवं छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर (प्राचार्य कक्ष, प्राचार्य कार्यालय, छात्रावास कार्यालय व इलेक्ट्रिकल मशीन लैब, तीन कम्प्यूटर लैब, प्राचार्य आवास, एकेडमिक ब्लॉक क्षेत्र एवं परिसर में खड़ी कार) में तोड़फोड़ एवं आगजनी की घटना को रात्री में अंजाम दिया गया। इस घटना में रात्री के समय सरकारी सम्पत्ति को नुकसान किया गया। प्राचार्य द्वारा निर्गत स्थानीय पत्रांकः 981 दिनांकः 07.10.2025 के आलोक में महाविद्यालय के अनुशासन समिति के द्वारा उपलब्ध सी.सी.टी.भी. फुटेज के आधार पर सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त अभी तक के जाँच के आधार पर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांकः 2634 दिनांकः 27.10.2011 के अनुपालन में अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित छात्रों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है:

S. No.	Name of Student	Roll No.	Clause No.	Branch
1.	Akshat Bhardwaj	25CS30	3 (XXVIII)	CSE
2.	Abhinav Raj	25EE32	3 (XXVIII)	EEE

नोटः

1. उपरोक्त सभी छात्रों को ₹40,000 (चालीस हजार रुपये) का आर्थिक दंड दिया जाता है।
2. उपरोक्त सभी छात्रों को एक Black Dot दिया जाता है।
3. उपरोक्त सभी छात्रों को किसी भी वर्ष में सभी प्रकार की छात्रवृत्ति की अनुशंसा से वंचित किया जाता है।
4. भविष्य में इन्हें महाविद्यालय में छात्रावास से वंचित किया जाता है।
5. उपरोक्त सभी आदेश को तत्काल प्रभाव से प्रभावी समझा जाए, एवं उपरोक्त सभी छात्र छात्रावास को तीन दिनों के अन्दर खाली करना सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने पर पुनः कठोर कार्रवाई की जाएगी।
6. उपरोक्त सभी छात्रों को सभी संबंधित छात्र समिति से हटाया जाता है।

चेतावनीः भविष्य में दोबारा किसी भी घटना में सम्मिलित पाये जाने पर महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।

उपरोक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के विरूद्ध दोषी छात्र निदेशक, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के समक्ष अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं।

विश्वासभाजन

ह० /–
प्राचार्य,
नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय,
चण्डी (नालन्दा)।

ज्ञापांकः NCE/CHANDI/…191…..   दिनांक …10…/…02…/2026

प्रतिलिपिः

1. सचिव, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर सचिव–सह–निदेशक, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, नालन्दा
4. पुलिस अधीक्षक, नालन्दा
5. अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा
6. थाना प्रभारी, चण्डी
7. सभी संबंधित स्थानीय पदाधिकारी
8. मुख्य प्रतिपालक
9. सभी संबंधित छात्र
10. प्राचार्य कार्यालय
11. सभी नोटिस बोर्ड

10.2.2026

प्राचार्य,
नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय,
चण्डी (नालन्दा)।

09.2.26